तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२6/4/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान [illegible] श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली 12/7/21 को पेश हो।
12-7-21	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 26.10.21 को पेश हो।
26/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवो की ओर अभियान 2021 के तहत [illegible] दिनांक 28/10/21 को पेश हो।
28/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 में क्षेत्र ग्राम पंचायत अरनाथी में पेश हुई। पत्रावली दिनांक 8/2/22 को पेश हो।
8/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 10/5/22 को पेश हो।
10/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य स्थानान्तरण के कारण राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि २4/8/22 को पेश हो।
२4/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 19-9-22 को पेश हो।
19/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित [illegible] सुनी गई। बहस में वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 16:09:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी ग्राम भजनेरी की खसरा संख्या 1944, 1945, 1946, 1951, 1953 पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित प्रकरणों मे अभिनिर्धारित सिद्धान्तों एवं 1964 RRD पेज 88 के अनुसार साधारणतया एक सह अभिधारी किसी दूसरे सह अभिधारी के विरूद्ध आदेश प्राप्त नही कर सकते है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है। रिकार्ड सह-खातेदार होने के कारण अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे नही होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे नही है। अतः प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी) Signature Not Verified Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar Date: 2023.03.22 15:09:30 IST Reason: SelfAttested	